4/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुण्डली रणजीतपुरा मे पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी अनु० । पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत की भावना से किया गया। प्रार्थी का वाद आदम हाजरी व आदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। दर्ज नम्बर से कम हो।

NAD/मु. रणजीतपुरा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
साँभर लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner